न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –679 / 2024

अनवान : –

1. रोशनी पत्नी रणजीत जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम्

1. कालुराम पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. सन्दीप पुत्र रामसिंह जाति जाट निवाासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 188 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 16/04/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 13 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 68 / 63 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि वादीया के एवं खाता स0 68 / 63 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 ता 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादिया की कृषि भूमि प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 की चिपती हुई तथा वादिया कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 लगभग 2 फुट आगे खेत में काबिज है तथा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 बिना विभाग की आज्ञा से वादिया के कब्जा काश्त की कृषि भूमि पर खाला निर्माण कर रहे है तथा वादीया की सीवं डोल आदि नष्ट कर रहे है तथा वादिया प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवा पाने कि वादिया की कृषि भूमि में खाला निर्माण न करे सींव डोल आदि नष्ट नही करे इसलिए वादिया प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी पाने की अधिकारिणी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

अधिवक्ता वादी के निवेदन सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वर्तमान राजस्व किार्ड के अनुसार वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है वादी व प्रतिवादीगण एक दुसरे के पड़ौसी खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:01:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नोहर

Rahul

वादीग का कथन है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जा काश्त में दखल दिया जा रहा है एवं वादिया कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 लगभग 2 फुट आगे खेत में काबिज है तथा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 बिना विभाग की आज्ञा से वादिया के कब्जा काश्त की कृषि भूमि पर खाला निर्माण कर रहे है लेकिन वादीया द्वारा अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे प्रतिवादीगण द्वारा वादीया के कब्जा काश्त में मदाखलत बैजा किया गया हो या खाला का निर्माण किया गया हो वादीया द्वारा केवल कथन किया गया है एवं कथनों के आधार पर वादीगण अनुतोष पाने की अधिकारी नही है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16/04/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:01:41 IST
Reason: SelfAttested